कार्यवाही विवरण

मेसर्स रामा बिल्डकॉन एंड रियल स्टेट प्राईवेट लिमिटेड (प्रो.–श्री कमल कुमार अग्रवाल, ढौर लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–ढौर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक–434/1, 434/2, 434/3, 434/4, 434/5, 434/6, 434/7, 434/8, 434/9, 434/10, 434/11, 434/12, 434/13, 434/14, 453/1 (पार्ट), 471 (पार्ट), 560/2 (पार्ट), 455, 456, 458/1 (पार्ट), 469 (पार्ट), 561/1 (पार्ट), 561/2, 561/3 (पार्ट), 561/5 (पार्ट) एवं 561/6, कुल क्षेत्रफल–9.94 हेक्टेयर में प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–2,00,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 27.09.2023 को समय दोपहरः–12:00 बजे, स्थान–शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला के सामने खाली मैदान, ग्राम–ढौर, तहसील–पाटन जिला–दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत मेसर्स रामा बिल्डकॉन एंड रियल स्टेट प्राईवेट लिमिटेड (प्रो.–श्री कमल कुमार अग्रवाल, ढौर लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–ढौर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक–434/1, 434/2, 434/3, 434/4, 434/5, 434/6, 434/7, 434/8, 434/9, 434/10, 434/11, 434/12, 434/13, 434/14, 453/1 (पार्ट), 471 (पार्ट), 560/2 (पार्ट), 455, 456, 458/1 (पार्ट), 469 (पार्ट), 561/1 (पार्ट), 561/2, 561/3 (पार्ट), 561/5 (पार्ट) एवं 561/6, कुल क्षेत्रफल–9.94 हेक्टेयर में प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–2,00,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु परियोजना प्रस्तावक के आवेदन के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय समाचार पत्र द पायोनियर, नई दिल्ली में दिनांक 25.08.2023 एवं दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में दिनांक 25.08.2023 में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदानुसार लोक सुनवाई दिनांक 27.09.2023 को स्थान–शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला के सामने खाली मैदान, ग्राम–ढौर, तहसील–पाटन जिला–दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय अधिकारी, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19,नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर छत्तीसगढ़, कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–दुर्ग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला–दुर्ग, मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत ढौर, जिला–दुर्ग, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन, सेक्टर–19 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला, भिलाई, जिला–दुर्ग में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के

अंदर क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग के कार्यालय में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में कोई सुझाव, विचार, आपत्ति एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई है।

उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 27.09.2023 को दोपहर 12:25 बजे अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग की अध्यक्षता में स्थान–शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला के सामने खाली मैदान, ग्राम–ढौर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिनिधि/कंसल्टेन्ट श्री जगमोहन चंद्रा द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

तदोपरान्त अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग द्वारा निर्धारित समय एवं तिथि पर लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने, आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने उक्त परियोजना के संबंध में अपना आपत्ति, सुझाव, विचार एवं, टीका–टीप्पणियां दर्ज कराया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री सौरभ कुमार साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ प्रस्तावित खदान के आसपास हमारी लगभग 7 एकड़ जमीन है। जो मेरे दादा जी के नाम पर है। मैं खदान रोकने हेतु आवेदन दिया है। हमारी जमीन कृषि भूमि है। जिसमें खेती करते आ रहे हैं। हम डबल फसल लेते हैं। खदान से प्रदूषण होने पर हमारा उत्पादन घट जायेगा और हमारा आमदनी कम हो जायेगा। खदान में ब्लास्टिंग से हमारी जमीन खदान में धंस सकती है। काम करने वाले मजदूरों को क्षति पहुंच सकता है। ब्लास्टिंग से ध्वनि एवं वायु प्रदूषण होगा। धूल की वजह से सांस की समस्या हो सकती है। हमारी हरी भरी उपजाउ जमीन तथा गांव धूल से ढ़ंक जायेगा। उत्पाद का परिवहन वाहनों के माध्यम से होने पर दुर्घटना की संभावना रहेगी तथा जानमाल को क्षति होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि खदान को रोका जाये।

2. **श्री संजय मिश्रा, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं कृषक हूं। पूर्व वक्ता ने कहा कि हम भी खदान का विरोध करते हैं। प्रस्तावित खदान के चारो ओर करीब 20–25 किसानों की भूमि है जहां अनाज का पैदावार होता है। खदान खुलने से पैदावार कम होगा। प्रस्तावित खदान में बाद में क्रशर खुलेगा जिसके डस्ट से कृषि भूमि बंजर भूमि में बदल जायेगी। हम कृषि पर आधारित हैं। हमारी सरकार कृषि को बढ़ावा दे रही है जबकि खदान से कृषि को नुकसान होगा। मेरा निवेदन है कि पंचायत के सभी प्रतिनिधि क्षणिक लाभ के लिये कृषकों को नुकसान न पहुंचाये। मेरा निवेदन है कि प्रस्तावित खदान को स्वीकृति न दिया जाये।

3. **श्री देवेन्द्र कुमार साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ गांव में चूना पत्थर के व्यापारी को इतना महत्व दिया जा रहा है कि गांव के जन प्रतिनिधि आगामी पीढ़ी को नही देख रहे हैं। गांव में पीढ़ी अनुसार जमीनों को बंटवारा किया गया। लोगों ने जरूरतों के हिसाब से अपनी जमीन बेची जिसमें खदान शुरू हुआ। हम लोग चाह रहे हैं कि यहां की जमीन को खरीद कर उसमें सब्जी–भाजी उगाया जाये। मैंने सिन्हा के खदान में रोजगार के लिये दो साल से आवेदन दिया लेकिन मुझे स्थानीय होने के कारण काम पर नही रखा गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां खदान खुलेगा तो गड्ढे में तब्दील हो जायेगा। खेत के उपजाउ जमीन उपर में रहेगा जिससे खदान गहरा होने के कारण खेती जमीन पर पानी नही ठहरेगा। पैदावार नही होगा तो हम लोग खाने के लिये तरस जायेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि खदान को अनुमति नही दिया जाये। खदान की वजह से गांव में भविष्य में हम लोग पानी के तरसेंगे। मेरा निवेदन है कि चूना पत्थर खदान में रोक लगाया जाना चाहिए। हमारा मुख्य व्यवसाय कई पीढ़ियों से कृषि है। हमारे गांव में ब्लास्टिंग की वजह से पूरा गांव हिल जाता है। कई लोगों के क्षत में दरार आ गया है। मुढ़पार और चुनकट्टा के खदानों में ब्लास्टिंग का वाईब्रेशन हमारे गांव तक आता है। इसीलिये हम लोग चूना पत्थर खदान में रोक लगाना चाहते हैं।

4. **श्री खिलेश मारकण्डे, ग्राम–सेलूद, जनपद सदस्य, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान खुलने से युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इनका एक खदान सेलूद में भी है। वहां ब्लास्टिंग की वजह से लोगों के आवाजाही बन्द हो जाती है। वहां से उड़ने वाले धूल से लोगों को सामना होना पड़ता है। ब्लास्टिंग का असर गर्भवती महिलाओं पर भी पड़ रहा है। यहां की कोई भी खदान पर्यावरणीय नियमों का पालन नही कर रहा है। इस खदान को अनुमति न दिया जाये।

5. **श्री अविनाश मिश्रा, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ प्रस्तावित खदान के लिये मैं आपत्ति करता हूं। आज खदान खुल जायेगा लेकिन आगामी 5 सालों में हमारा कोई भविष्य नही रहेगा। मुढ़पार, चुनकट्टा में खदानें हैं। खदान खुलने से हमारे गांव में फसल एवं खुशहाली नही होगा। धूल ब्लास्टिंग से गांव वालों को परेशानी होगी। इस खदान को अनुमति न दिया जाये।

6. **श्री परसराम साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ एक बांध बन रहा है जिसके पास में गौठान है। बांध जाने के लिये हम लोग रास्ता बनवाये थे। इस खदान को अनुमति न दिया जाये।

7. **श्री लक्ष्मीकांत साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं पूर्व वक्ताओं का समर्थन करता हूं। जिन्होंने विरोध किया है कि आज से 10 साल पहले खेतों मे बोर करवाने से पानी निकलता था। लेकिन आज 300 फीट गहरा कराने पर भी पानी नही निकलता है। यहां के खदान वाले रात में बहुत तेजी से हाईवा चलाते हैं जिससे दुर्घटना हो रही है। चुनकट्टा खदानों का ब्लास्टिंग से मेरे घर का कंपन्न होता है। घर दरार भी हो गया है। मैं इस खदान का विरोध करता हूं।

8. **श्री खेलन कुमार यादव, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं चाहता हूं कि गांव में चारा विकास समिति की जमीन पर हाईवा चलता है। जिसमें अजय गुप्ता एवं एन.के. पाडे का गाड़ी चलता है। नयापारा का तालाब मार्च तक नही सूखता था वह आज दिसंबर में ही सूख जाता है। हमको निस्तारी तक की सुविधा नही मिल रही है। इस खदान को अनुमति न दिया जाये।

9. **श्री मिलन यादव, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ गांव के चारागाह जमीन पर घास और झाड़ लगाया गया है। गांव में तालाब में झाड़ लगा दिया गया है जिससे मवेशी पानी तक नही पी पा रहे है।

10. **श्रीमती मोंगरा बाई साहू, पंच वार्ड नंबर–03, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान खुलने का आपत्ति है।

11. **श्री नेमन्त कुमार साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ इस खदान को एनओसी नही दिया जाना चाहिए।

12. **श्री रामलाल साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ गांव की व्यवस्था को व्यवस्थित नही किया जा रहा है। गांव में कोई व्यवस्था नही है। खदान खुलने का आपत्ति है।

13. **श्री गंगा प्रसाद साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ इस खदान के खुलने से क्या फायदा है। मुड़पार, चुनकट्टा में कपड़ा सूखाने से झटकारने पर धूल ही धूल उड़ता है। पहले अंग्रेजों ने अत्याचार किया अब हमारे लोग ही अत्याचार कर रहे हैं। खदान खुलने से पत्थर हवा में उड़ेगा। खदान खुलने का आपत्ति है।

14. **श्री ठाकुरराम साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ आज जिस तरह से छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। यह खदान हमारे गांव के 300 एकड़ जमीन में खुल रहा है। यह अन्याय है। खदान खुलने का आपत्ति है।

15. **श्री गिरीश कुमार साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ आज यहां गौण खनिज के लिये लोक अदालत लगाया गया है। यहां खदान से विकास के साथ साथ विनाश भी होगा। यहां खदान खुलने से विनाश भी होगा। गांव के जनप्रतिनिधि 5–7 हजार के लिये एनओसी दिया जाना सही नही है। मेरे द्वारा पूर्व में पंच होने पर एक गलती किया गया, एक खदान को एनओसी दिया गया। यहां पर हस्ताखर करवाया जा रहा है तो एक तरफ सहमतिकर्ता और दूसरे तरफ आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर कराया जाये। पूर्व में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा गलती किया गया तो उसको वर्तमान में नही दोहराना चाहिए। इस खदान के खुलने के बाद एक सुनामी आने से पूरा गांव खदान में समा जायेगा। अगर हम आज अनुमति देंगे तो हमारे पीढ़ी हमको धिक्कारेंगे। हमारे गांव में वन विभाग को पेड़ लगाने की अनुमति दिया गया। लेकिन आज हमारे गांव चारागाह नही रहा। खदान खुलने का आपत्ति है।

16. **श्री लिकेश्वर साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं चाहता हूं कि इस गांव को चुनकट्टा नही बनाना है, इसीलिये खदान खुलने का आपत्ति है।

17. **श्री भीखम यादव, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं चाहता हूं कि खदान की जगह पर 12वीं तक स्कूल खोल दिया जाये। कॉलेज भी खुलना चाहिए। हम खदान खुलने के लिये एनओसी नही देंगे। खदान खुलने की जगह पर एक अच्छा काम करें।

18. **श्रीमती हीरावती साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान खुलने का आपत्ति है। ब्लास्टिंग से मेरे खेत में पत्थर उड़कर आता है।

19. **श्री सूर्यकांत साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान खुलने का आपत्ति है। हमारे गांव का सड़क बहुत संकरा है। हाईवा चलने से बहुत असुविधा होगा। मैं चाहता हूं कि खदान मत खुले।

20. **श्री श्रीकांत साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान खुलने का आपत्ति है। सरपंच को बोलना चाहिए लेकिन अभी तक सरपंच आया नही है। सरपंच पैसा खाकर बैठे हैं। इतना पैसा तो मेरे से ले लेते। बाहर में हस्ताक्षर नही कराना चाहिए।

21. **श्री कुंवर सिंग साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
- खदान खुलने का आपत्ति है।

22. **श्रीमती दुलारी बाई यादव, सरपंच, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
- हम लोग यहां खदान नहीं खुलने देंगे।

23. **श्री गोवर्धन लाल हिरवानी, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
- खदान खुलने का आपत्ति है।

24. **पुनः उद्बोधन श्रीमती हीरावती साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
- .खदान खुलना गांव वालों की सहमति से ही होना चाहिए। खदान में बाहरी लोगों को काम नही मिलना चाहिए। स्थानीय लोगों को ही काम मिलना चाहिए।

25. **पुनः उद्बोधन श्री देवेन्द्र कुमार साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
- खदान नही खुलना चाहिए। ढौर के पाप की भूमि में आपका स्वागत है। क्योंकि यहां आप सब बिका हुआ है। इस आयोजन को ग्राम पंचायत के समस्त पंच–सरपंच लगे हुए है। स्थानीय लोगों को ही काम मिलता है तो मैं अनविरोध में हूं। यदि ढौर के लोगों को काम पर नही रखते हैं तो मैं खदान के विरोध में नही हूं।

26. **श्रीमती धनेश्वरी साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
- हम कृषक हैं। किसानी करते हैं। हम अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेंगे। हमें मजदूरी नही करना है। हमें खदान खुलने का आपत्ति है।

27. **श्रीमती ललिता साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
- खदान खुलने का आपत्ति है। हम जहां काम करते हैं वहा पत्थर गिरता है। हमें खदान नही चाहिए।

28. **श्री देवेन्द्र कुमार, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
- खदान खुलने का आपत्ति है। छत्तीसगढ़ के चार चिन्ह नरवा, गरवा, घुरवा और बारी है उसमें नरवा, गरवा, खदान और बारी नही लिखा है।

29. **पुनः उद्बोधन श्री अविनाश मिश्रा, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
- जिन्होंने खदान के लिये सहमति दिया गया है उनका नाम उजागर किया जाये।

30. **श्रीमती तिरेश्वरी साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
➢ खदान खुलने का आपत्ति है। इतने बहुत बड़े एरिया में स्कूल खुल सकता है, बाड़ी खुल सकती है। इससे हम सभी लोगों को रोजगार मिलेगा।

31. **श्रीमती जागेश्वरी साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
➢ खदान खुलने का आपत्ति है। इतने बहुत बड़े एरिया में बाड़ी खुल सकती है। इससे हम सभी लोगों को रोजगार मिलेगा।

32. **श्रीमती चांदनी साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
➢ खदान खुलने का आपत्ति है। खदान से हमारे खेत में बहुत पानी आ जाता है। हमारी फसल नही हो पाती है।

33. **श्रीमती चित्ररेखा साहू, पंच वार्ड क्र. 5, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
➢ मैं गांव वालों के बातों से सहमत हूं।

34. **श्री राजकुमार मिश्रा, पंच, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
➢ ग्राम हित ही सर्वोपरि है। जागरूक किसानों से मेरा सवाल है कि लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से जमीन बेची होगी। ढौर का आधा से अधिक रकबा खत्म हो गया है। मेरा किसानों से आग्रह है कि ग्रामसभा में अपनी उपस्थिति देवें। गांव के हित को सर्वोपति मानते हुए निर्णय लिया जाये।

35. **श्री इन्दर साहू नाथूराम, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
➢ हमारे पास जमीन नही है तो हम लोग क्या बेचेंगे। मेरा घर जैसा है उतना ही घर दूसरे जगह बनाकर दिया जाये।

36. **श्री गोस्वामी साहू , ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
➢ खदान खुलने का आपत्ति है।

37. **श्री विकास कुमार साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
➢ खदान खुलने का आपत्ति है।

38. **श्री ओमप्रकाश यादव, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
➢ खदान खुलने का आपत्ति है। मुढ़पार और ढौर पूरा धूल की समस्या झेल रहे हैं।

39. **श्री धर्मेन्द्र साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
➢ खदान खुलने का आपत्ति है। ब्लास्टिंग से हमारे घर में कंपन्न की समस्या हम लोग झेल रहे हैं।

40. **श्री सुखउ राम, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान खुलने का आपत्ति है।

41. **श्री लक्ष्मण यादव, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ यहां खदानों की वजह से जीना मुश्किल हो गया है। हम लोग नया खदान खुलने नही देंगे।

42. **श्री कोमल सिंग साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान खुलने का आपत्ति है। मुढ़पार और चुनकट्टा की तरह हमारा गांव न हो। वहां हर घर में धूल और डस्ट है। देखने पर लगता है कि तीन माह से घर की सफाई नही हुआ है।

43. **श्री राजेन्द्र कुमार निर्मलकर, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान खुलने का आपत्ति है। पक्ष वाले माईक में आकर बोले।

44. **श्री अमन कुमार यादव, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान खुलने का आपत्ति है। पूर्व से संचालित खदानों में ब्लास्टिंग से बहुत कंपन्न होता है। यहां पर बोर ब्लास्टिंग होता है।

45. **श्री नंदकिशोर साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान खुलने का आपत्ति है।

46. **श्री किशनलाल साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान खुलने का आपत्ति है। यहां दर्शित सभी खसरा में पहले कृषि होता था। खदान खुलने से हमारी सभी जमीनें बंजर हो जायेगी।

47. **श्री अनिल साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान खुलने का आपत्ति है। पूर्व में मेरे द्वारा दिये गये दो एकड़ जमीन में मेरी और जमीन है वहां पत्थर आता है। मेरे जैसा नुकसान दूसरे कृषकों को न हो इसीलिये मैं खदान के विरोध में हूं।

48. **श्री अजय सिंह राजपूत, ग्राम–चुनकट्टा, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान को लीज जारी करने का ईस्तहार किया जाता है। इसकी प्रक्रिया क्या है। यहां कितने खदानों में पर्यावरण के नियमों का पालन किया जा रहा है। यहां एक खदान का नाम बताया जाये जहां पर्यावरण के नियमों का पालन हो रहा है। यहां हम लोग आपस में लडेंगे। कोई एक विरोध कर रहा है एक समर्थन कर रहा है। यहां पर्यावरणीय नियमों के जांच कौन करता है ? हम यहां धूल में रहते हैं। ब्लास्टिंग की समस्या हम लोग झेलते हैं। हम ग्रामीण हैं, हमारी तकलीफ निराकरण नही हो रहा है। यहां पर खदान में लोगों को रोजगार पर रखा जायेगा। वे अकुशल होंगे या कुशल श्रेणी के होंगे। क्या मजदूरों को बीमा सुविधा दिया गया। कमल भैया

का पूर्व में भी खदान संचालित हो रहा था वहां पर कई लोग पहले भी काम किये हैं। क्या किसी व्यक्ति को बीमा सुविधा दिया गया। यहां ब्लास्टिंग के लिये पुलिस विभाग में सूचना दी जाती है और उसकी जांच के उपरांत दो दिन बाद ब्लास्टिंग होती है। क्या ऐसा होता है ? यहां बोर ब्लास्टिंग होता है और लोग मुकर जाते हैं यहां बोर ब्लास्टिंग नही हो। यहां पहले खदान में 1200 पौधे लगाने की बात हुई थी ये अच्छी बात है लेकिन बाद में कहा गया कि ग्राम पंचायत जमीन उपलब्ध करवाये जाने पर पेड़ लगाया जायेगा, कहा गया। यहां पैर रखने के लिये जमीन नही है पेड़ लगाने के लिये कहां से जमीन मिलेगा। मैं इसका विरोध करता हूं। यहां उच्च न्यायालय का निर्णय है कि 30 साल से अधिक वर्षो की लीज नही दिया जाना है। लेकिन यहां पर 70–70 वर्षो से खदान संचालित है। यहां पर स्पष्ट जानकारी देवे।

49. **श्री गिरधारी साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
- खदान खुलने का आपत्ति है।

50. **श्री ईशू शर्मा, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
- मेरे पिता जी का देहांत करोनाकाल में हुआ था। उस समय कलेक्टर, एसपी और तहसीलदार को यहां से फोन किया गया था। फिर टी.एस.बाबा ने मेरा समर्थन किया। खदान खुलने का आपत्ति है। बच्चो को यहां बहुत दिक्कत हो रहा है। बच्चो का भविष्य नही बिगड़ना चाहिए।

51. **पुनः उद्बोधन श्री लक्ष्मीकांत साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
- खदान खुलने का आपत्ति है।

52. **श्री तनूज कुर्रे, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
- खदान खुलने का आपत्ति है। मैं जानना चाहता हूं कि जन सुनवाई कार्यक्रम क्या है। अगर यहां इतना विरोध के बावजूद खदान को अनुमति दे दिया जाता है तो क्या होगा ? यहां पर जन सुनवाई समिति आना चाहिए। विडियो रिकार्डिंग की एक प्रति हमको चाहिए।

53. **पुनः उद्बोधन श्री सौरभ कुमार साहू,, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
- आपके द्वारा कितना पेड़ लगाया जायेगा, खदान खुलेगा या नही खुलेगा। ईआईए अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय जनसुनवाई के उपरांत ही खदान को स्वीकृति दिया जायेगा। मेरा निवेदन है कि जनसुनवाई का निर्णय आने के बाद हमें सूचना दे दिया जाना चाहिए। यह निर्णय ब्लॉक स्तर में सुनाया जाना चाहिए।

54. **श्री शैलेन्द्र कुमार साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
- खदान खुलने का आपत्ति है।

55. **श्री पोषण साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
- खदान खुलने का आपत्ति है।

56. **श्री मुकेश कुमार साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
➢ खदान खुलने का आपत्ति है।

57. **श्री चंपालाल साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
➢ खदान खुलने का आपत्ति है।

58. **श्री टेकेश्वर, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
➢ .खदान खुलने का आपत्ति है। .

59. **श्रीमती बासंती मानिकपुरी, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
➢ खदान खुलने का आपत्ति है। घर गिरता है। पक्के घर भी हिलने लगता है।

60. **श्रीमती तोमेश्वरी साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
➢ खदान खुलने का आपत्ति है।

61. **श्री किशन साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
➢ खदान खुलने का आपत्ति है। बोर ब्लास्टिंग नही होना चाहिए।

62. **श्री नर्सिंग यादव, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
➢ हम लोग जमीन बेचे हैं और लोग बोल रहे हैं खदान नही खुलना चाहिए।

63. **श्री योगेन्द्र साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
➢ हमारे गांव में खदान नही खुलना चाहिए। हमारे गांव के पंच सरपंच पैसा लेकर बैठ गये हैं। ग्रामसभा की मीटिंग होता है।

64. **श्री हेमन्त कुमार निर्मलकर, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
➢ खदान खुलने का आपत्ति है।

65. **श्रीमती सीमा ठाकुर, पंच, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
➢ खदान खुलने का आपत्ति है।

66. **श्रीमती कुमारी बाई, पंच, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
➢ खदान खुलने का आपत्ति है।

67. **श्रीमती नगीना साहू, पंच वार्ड कमांक 11, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**
➢ खदान खुलने का आपत्ति है। .

68. **श्रीमती प्रिया साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ जब मेरे पिता जी लोग जमीन की रजिस्ट्री कराने गये थे तब अग्रवाल सर बोले थे कि यहां सब्जी भाजी की खेती करवाउंगा खदान नही खोलूंगा बोलेंगे तो आज खदान क्यों खोल रहे हैं।

69. **श्री मयाराम यादव, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान खुलने का आपत्ति है।

70. **श्री सुखराम, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं धूल माटी से बहुत परेशान हूं। खदान खुलने का आपत्ति है।

71. **कुमारी प्रियंका विश्वकर्मा, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान खुलने का आपत्ति है।

72. **कुमारी विनीता साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान खुलने का आपत्ति है।

73. **कुमारी सुनिता यादव, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान खुलने का आपत्ति है।

74. **श्री महेश कुमार, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान खुलने का आपत्ति है। यहां खदान होना ही नही चाहिए।

75. **श्री छगन लाल साहू, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ यहां खदान होना ही नही चाहिए।

76. **श्रीमती छतकुमारी कुर्रे, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ यहां खदान नही खुलना चाहिए।

77. **श्री सतीश कुमार, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ प्रस्तावित खदान से मेरा घर 500मीटर की दूरी पर है। मैं कई बार बोला हूं कि मेरे घर के पास हाईवा न लिया जाये। हाईवा वाले बोलते हैं कि इसके लिये आपको गांव के पंच व सरपंच ने हमें अनुमति दी है। इससे बहुत ज्यादा धूल होता है।

78. **श्री ईशान कुमार, ग्राम–ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान खुलने से तकलीफ क्या होता है हम मुढ़पार वाले से पूछा जाये। हम लोग वहां नाक में मास्क लगाते हैं नही चल सकते हैं। लोग नाक में ड्राप लगाते हैं वरना नाक बन्द हो जायेगा।

उपरोक्त वक्तव्य के बाद अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग तथा क्षेत्रीय अधिकारी, भिलाई द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब क्षेत्रीय अधिकारी, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मौखिक मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री जगमोहन चंद्रा द्वारा उक्त परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान जन समुदाय उठाए गए मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :–

- ❖ यह एक नई खदान है। हम लोग खनिज अधिनियमों के अनुसार ही कार्य करेंगे।
- ❖ सबसे पहले खदान के चारो ओर पौधा रोपण किया जायेगा।
- ❖ हम खनिज नियमों का पालन करेंगे।
- ❖ परियोजना में कुशल और अकुशल दोनों श्रेणी के लोगों को रोजगार दिया जायेगा।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में 25 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणीयां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजनाओं के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 73 व्यक्तियों (05 व्यक्ति द्वारा पुनः उद्बोधन) के द्वारा कुल 78 व्यक्तियों द्वारा मौखिक आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमुदाय में से कुल 71 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जनसमुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर 02.55 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

Aijaspode

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–दुर्ग